संख्या- 03 /2023/001-95 CMNSY- ई0- 1737260

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 04 सितंबर, 2023

विषय:-मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत सीमा विस्तारित नगर पंचायत, खागा, जनपद-फतेहपुर को द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/194/21/मु0मं0न0सृ0यो0/2023-24, दिनांक 07.08.2023 एवं जिलाधिकारी, फतेहपुर के पत्र सं0-349/21-स्था0 नि0/नव सृ0/उपयोगिता/2023-24, दिनांक 04.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विस्तारित नगर पंचायत, खागा, जनपद-फतेहपुर को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों के फोटोग्राफ्स, गुणवत्ता निरीक्षण आख्या एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये द्वितीय किश्त अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पंचायत, खागा, जनपद-फतेहपुर को शासनादेश सं0-159/2022/4350/002-ई-1672198-84ज-22, दिनांक 12.12.2022 द्वारा तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक-2217-80-193-04-00 के अन्तर्गत अवशेष धनराशि रू0 5840.65 लाख (रू0 अट्ठावन करोड़ चालीस लाख पैंसठ हजार मात्र) में से विस्तारित नगर पंचायत, खागा को अवशेष द्वितीय किश्त की पूर्णांक धनराशि रू0

46,70,715.00 (रू0 छियालीस लाख सत्तर हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु वितीय स्वीकृति कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	शासनादेश सं0-159/2022,4350/002-ई0 1672198-84 ज/22, दिनांक-12.12.2022 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी धनराशि का विवरण	अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि	अवमुक्त की जा रही द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि
1	2	3	4	5
1	CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM RAM KHELAWAN PAL'S HOUSE TO KHEMNA DEVI'S TEMPLE IN RAYPUR	927,376.00	4,63,688	4,63,688
2	CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM SITA SINGH JR.HIGH SCHOOL TO SUKHLAL SINGH'S HOUSE IN CHITAULI	1,779,263.00	8,89,631.5	8,89,631.5
3	CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM SHERA SINGH'S HOUSE TO LOTTAN SINGH'S HOUSE IN CHITAULI	378,393.00	1,89,196.5	1,89,196.5
4	CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM GIRDHARI PASWAN'S	336,980.00	16,8490	16,8490

	HOUSE TO RAM PRAKASH PASWAN IN BASHDEVPUR			
5	CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM MANOJ'S HOUSE TO SHYAM SINGH'S HOUSE IN KHEMKARANPUR TEKARI	1,181,627.00	5,90,813.5	5,90,813.5
6	CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM LAVKUSH'S HOUSE TO MEDILAL'S HOUSE VIA MATADIN'S HOUSE IN SARSAI	1,116,558.00	55,8279	55,8279
7	CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM RAMLAL MAURYA'S HOUSE TO CHAND BABU'S HOUSE IN SARSAI	455,057.00	2,27,528.5	2,27,528.5
8	CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM RAJENDRA MAURYA'S HOUSE TO AYODHYA MAURYA'S HOUSE IN SARSAI	311,896.00	1,55,948	1,55,948
9	CONSTRUCTION OF C.C. ROAD & RCC DRAIN FROM JAGROOP'S HOUSE TO JHALLU'S HOUSE IN SANGRAMPUR	808,559.00	4,04,279.5	4,04,279.5
10	CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM	492,366.00	2,46,183	2,46,183

	CHHABILAL'S HOUSE TO SHER SINGH'S HOUSE IN MEDAIPAR			
11	CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM GUL SINGH'S HOUSE TO GIRDHARI'S HOUSE IN MEDAIPAR	203,359.00	1,01,679.5	1,01,679.5
12	CONSTRUCTION OF C.C. ROAD & RCC DRAIN FROM SITARAM MAURYA'S HOUSE TO RAMESH SINGH'S HOUSE IN SARSAI	470,558.00	2,35,279	2,35,279
13	CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM KALLU'S HOUSE TO MADRAKHAN'S HOUSE IN SANGRAMPUR	610,053.00	3,05,026.5	3,05,026.5
14	CONSTRUCTION OF RCC DRAIN FROM SHIV PUJAN'S HOUSE TO SHIV GOBIND'S HOUSE IN KAMLAKHER	269,384.00	1,34,692	1,34,692
	योग	93,41,429.00	46,70,714.5	46,70,715.00 (round off)

(रू0 छियालीस लाख सत्तर हजार सात सौ पन्द्रह मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** के शासनादेश सं**0-5/2023**-बी-**1-322**/दस-**2023**, ई-पत्रावली सं**0-10-5002/125/2021**, दिनांक **02.05.2023** द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकायों को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-**1489**/नौ-**9-2022-84**ज/**22**, दिनांक **08.08.2022** के

माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त/सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/ डाक घर में नहीं रखी जायेगी।

4. कार्यों हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेग।

5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय किया जायेगा।

6. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।

7. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

8. प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-**6** के अध्याय-**12** के प्रस्तर-**318** में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।

9. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

10. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

11. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

12. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

13. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

14. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

15. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य द्विरावृत्ति

होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी एवं वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी एवं वित्त एव लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

16. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं**0-1489/नौ-9-2022-84** ज/22, दिनांक **08.08.2022** के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित जिलाधिकारी समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स् अपलोड किये जायेंगे।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** के कार्यालय ज्ञाप सं**0-2/2023/**बी-**1-227/**दस-**2023-231/2023**, दिनांक **17.03.2023** की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **46,70,715 (** रुपये छियालीस लाख सत्तर हजार सात सौ पंद्रह मात्र**)** को चालू वित्तीय वर्ष **2023-24** के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801930400** उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास **मानक मद 35** पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**2/2023/**बी-**1-227/** दस-**2023-231/2023**, दिनांक-**17** मार्च, **2023** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

Signed by संजय कुमार तिवारी
Date: 04-09-2023 10:16:33
Reason: Approved

संख्या-03 **/2023/001-95 CMNSY,** तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार लखनऊ।

(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(6) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ**0**प्र**0** लखनऊ।

(7) जिलाधिकारी, फतेहपुर।

(8) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, खागा, जनपद-फतेहपुर।

(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-**9/**वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1/2**, उ**0**प्र**0** शासन।

(10) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ**0**प्र**0** शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

Non-Concurrence Sanction Report

Amount In : (Amount in Rupees)

नगर विकास

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-95 CMNSY **स्वीकृति तिथि:** 01/09/2023
अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग
लेखाशीर्षक: 2217801930400 - उच्चीकृत / सीमा विस्तारित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद	Voted	Charged
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	4,670,715.00	0.00
योग :	**4,670,715.00**	**0.00**

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव